

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

तमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य प्रदातिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3581

दिनांक: 30/07/11

### // आधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(आग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-  
महाविद्यालय का नाम : नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर  
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. डी.के. शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, गुजरात  
2. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्  
उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

*[Signature]*  
अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

#### प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

*[Signature]*  
अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संग्रह पत्र व्यवस्था कुलपति जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते जा  
ते हैं। जीवाजी अन्न प्रशिक्षणी के बजाए।  
व्यवस्था विषय पर यह योग्य है पर  
व्यवस्था हुआ से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवधारणा लाते हैं जिससे कुप्रिया हो।



ग्राह : शूलकिण्ठी  
दूरभास : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

ठेकड़ :  
कुलपति,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/एफ/सम्बन्धता/2009/ 4-687

दिनांक... 21/02/12

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने अन्वेषण व्यावर्ता इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग्सी एण्ड ऐबेजलैंड, ग्वालियर (0751-2442842) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवादित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/प्रायोगिकों/विषयों की अन्वेषणीय सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत विभागुमार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर) (संयोजक)

(0751-2442828)

(2) डॉ. योगेश उपाध्याय, मैनेजमेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अध्यापक अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के लदस्तों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर सकें, धरोहर राशि, चारिंद सैक्षणिक/अवैक्षणिक स्टॉक, प्राविकृत संख्या से ग्रात अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवत, क्रीड़ा परिवर एवं प्रात्यक्षम/आर्टिकल तथा पिछले सत्र में ही गई शर्तों की पूर्ति नव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सैक्षणिक एवं अशीक्षणिक स्टॉक की विरीक्षणों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र ग्रात होने के 30 दिवस के अंदर विरीक्षण समिति संयोजक एवं लदस्तों द्वारा स्वापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा विवेदन के उपर विरीक्षण कराये जाने में प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जल्द करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जगा करते का उत्तरदायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"समिति जब का पत्र ग्रात होने के बाद विरीक्षण में की गई दरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विरीक्षण की सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगता को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरीक्षण को पुनः विरीक्षण करने के बावजूद रु. 25,000/- जमा करने होगे। तपश्चात ही विरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विवाह क्रमों को प्रवेश देना अवैधानिक है।"

विरीक्षण समिति के उपर सम्बन्धता शाला में कार्यालय/ कार्यालय सहायक प्रत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरिक्षण से विरीक्षण समिति को अंगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के लदस्तों को डी.ए. / ए.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

*3*  
कुलपति

#### प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्ध सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाली हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से लंपर्क स्वापित कर विरीक्षण दिनांक विधार्ता कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, संसाधा भवत, भोगता
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के साथेव/ कुलपति के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*RE*  
संयोजक कुलपति (सरबबन्धता)